राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .501, 502, 503 एवं 504 / 2017..............................जिला...........अलवर..........................

उनवान – मैसर्स निशान्त थैरेपी सेन्टर, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री नत्थूराम, सदस्य

20.04.2017 अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री डी.कुमार एवं विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यह चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किये गये है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। चारों अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियां कर एवं ब्याज के बिन्दु पर कायम की गयी। जिसके विरूद्ध यह चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

अपील.सं.	कर निर्धारण वर्ष	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	अन्तर कर राशि	ब्याज राशि
1	2	3	4	5
501 / 17	12–13	16 / आरवैट	328297 / –	137885 / –
502 / 17	13–14	17 / आरवैट	643002 / –	192901 / –
503 / 17	14–15	18 / आरवैट	540705 / –	97327 / –
504 / 17	15–16	19 / आरवैट	301995 / –	21140 / –

चारों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय कि प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक से रखी जा रही है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि व्यवहारी द्वारा सेरेजेम थैरेपी इक्यूपमैन्ट राज्य के बाहर से आयातित कर राज्य के भीतर विक्रय किया जाता है। जिस पर 5 / 5.5 प्रतिशत कर वसूल किया जाकर जमा करवाया जा रहा है, कर निर्धारण अधिकारी ने इस माल की बिक्री दिनांक 13.07.2014 तक 14 प्रतिशत की दर से एवं दिनांक 14.07.2014 से 14.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए करारोपण किया है। अन्तर कर राशि 9 / 9.5 प्रतिशत को विवादित करते हुए व्यवहारी द्वारा चार अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये, जिनको आंशिक रूप से स्वीकारते हुये अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.11.2016 द्वारा कर एवं ब्याज के बिन्दु पर व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की तथा शास्ति के बिन्दु पर अपीलें स्वीकार की।

व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल पर कर दर दिनांक 14.07.2014 से पूर्व अनुसूची के प्रविष्टि संख्या 86 से संचालित होती है तदनुरूप उसने कर जमा करवाया है। दिनांक 14.07.2014 की अधिसूचना से उक्त प्रविष्टि पर 14.5 प्रतिशत कर दर तय की गई है इससे पूर्व से कर उचित रूप से 5 / 5.5 प्रतिशत जमा कराया जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रविष्टि को 14 प्रतिशत से करारोपण किया जाना अविधिक है। अतः उन्होनें प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों को स्वीकारते हुये बोर्ड के समक्ष लम्बित अपीलों के निस्तारण तक स्थगित करने का निवेदन किया।

लगातार................2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ...501, 502, 503 एवं 504/2017.............................जिला...........अलवर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/04/2017	– 2 – विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का अपील में मुख्य आधार यह है कि अधिनियम की अनुसूची 4 की प्रविष्टि संख्या 86 के अनुसार Medical equipment/devices and implants पर 5% की दर से कर देयता है। जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उपकरण Ceragem Theraphy Equipment को अनुसूची V की प्रविष्टि संख्या 33 में Health Fitncss एव Gymnatic equipment , Fat Loosing Belt, Body vibrating items, Aqua presser Machine के अंतर्गत मानकर 14/14.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माना है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने भी यथावत रखा है। अपीलार्थी द्वारा अपीलों में विवादित किया गया कानूनी बिन्दु विवाद परीक्षण योग्य है कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उपकरण Ceragem Theraphy Equipment किस श्रेणी में माना जाये। प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किये जाते है। अतः विवादास्पद कर एवं ब्याज की राशि को आगामी तिथि तक स्थगित किया जाता है। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की शर्त पर अपील के निस्तारण तक बकाया मांग राशि को स्थगित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा। अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी का रिकार्ड शीघ्र तलब हो। प्रकरण सुनवायी हेतु दिनांक **19.07.2017 को खण्डपीठ** के समक्ष पेश हो । आदेश प्रसारित किया गया। **(नत्थूराम)** **सदस्य** — 20.4.2017 **(मदन लाल)** **सदस्य**	